-:प्रेस नोट:-

दिनांक-09.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना गिरवां पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक वाहन में क्षमता से अधिक बेजुबान पशुओं को लादकर ले जाते समय 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **एक डीसीएम में कुल 08 भैंसे व 11 पड़वा लेकर जा रहे थे अभियुक्त। चेकिंग के दौरान गिरवां तिराहे के पास से किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अम्बुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 09.03.2025 को थाना गिरवां पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान गिरवां तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा एक डीसीएम में क्रूरतापूर्वक पशुओ को लादकर ले जा रहे कुल 08 भैंसे व 11 पड़वा बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह घूम-घूमकर जानवरों को खरीदते है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इस सम्बन्ध में थाना गिरवां में अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

- 08 नग भैंसे व 11 नग पड़वा
- 01 डीसीएम (परिवहन में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजनारायण दुबे पुत्र जयकरन दुबे निवासी बकेवर थाना बकेवर जनपद फतेहपुर।
2. अजय कपाड़िया पुत्र भुलई निवासी चमरौड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।
3. वसीम पुत्र सईद निवासी काचा हथगांव थाना हथगांव जनपद फतेहपुर।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 63/25 धारा 11(1)(डी) पशु क्रूरता निवारण अधि0 1960 थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थाना प्रभारी गिरवां श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार तिवारी
3. कां0 प्रदीप कुमार मिश्रा